

श्री भरतिसंह सोलंकी माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

Shri Bharatsinh Solanki
Hon'ble Minister of State (Independent Charge)
Ministry of Drinking Water and Sanitation

राज्यों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय परामर्श

NATIONAL CONSULTATION WITH STATE MINISTERS INCHARGE OF RURAL DRINKING WATER SUPPLY

दिनांक १९ फरवरी, २०१३ को विज्ञान भवन, नई दिल्ली

on

19 February, 2013 Vigyan Bhavan, New Delhi



पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार

Ministry of Drinking Water and Sanitation Govt. of India

राज्यों के ग्रामीण पेयजल के प्रभारी माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकारों के सचिव एवं अधिकारी—वर्ग, भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि, बहुपक्षीय एजें सियों एवं गैर— सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, देवियो एवं सज्जनो।

Hon'ble Ministers of State Governments incharge of Rural Drinking Water, Secretaries and officials of State Governments, representatives of Ministries of Government of India, representatives of multilateral agencies and non-governmental organisations, Ladies and Gentlemen.

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का प्रावधान करना राज्य एवं केन्द्र दोनों ही स्तरों पर सरकारों की एक मूलभूत जिम्मेदारी है।

Provision of adequate and safe drinking water supply in rural areas is one of the fundamental responsibilities of the Governments, both at the State as well as the Central levels.

जनगणना 2011 के आंकड़ों से आप परिचित होंगे कि लगभग 85% ग्रामीण आबादी हैंड पम्पों, नल के पानी और ढके हुए कुँओं जैसे सुरक्षित स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। बकाया 15% परिवार खुले कुओं एवं अन्य पिछड़े हुए स्रोतों जैसे नदियों, झरनों, तालाबों आदि पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 22% ग्रामीण परिवारों को अपने घरों से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्रोतों से पीने का पानी लाना पडंता है। मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखण्ड और मध्य प्रदेश राज्यों में ऐसे परिवारों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जनगणना कार्यालय से सूचना प्राप्त करके हमें ऐसे गांव की, जहां परिवारों को पानी के लिए 500 मीटर से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और ऐसे गांव जहां परिवार पीने के पानी के पिछड़े स्रोतों पर अश्रित हैं, पहचान करनी चाहिए और ऐसे गांवों / आवासों को उच्चतम प्राथमिकता पर शामिल किया जाना चाहिए।

You may be aware of the Census 2011 figures that indicate that nearly 85% of the rural population get drinking water from safe sources like handpumps, tap water and covered wells. The remaining 15% of households depend on uncovered wells and other unimproved sources like rivers, springs, ponds etc. Covering them with improved sources should be our priority. Moreover, about 22% of rural households have to fetch drinking water from sources that are more than 500 mts away from their premises. There is a high percentage of such households in the States of Manipur, Tripura, Orissa, Meghalaya Jharkhand and Madhya Pradesh. We should identify, by getting information from Census Office, the villages where households have to travel more than 500 metres to fetch water and villages where households are dependent on unimproved sources of drinking water and cover such villages/habitations on the highest priority.

यह चिन्ता का विषय है कि ग्रामीण परिवारों में से केवल 30.80% लोगों को ही नलकों का पानी उपलब्ध हो पाता है। बड़े राज्य जैसे बिहार, झारखण्ड, असम, उड़ीसा, एवं मध्यप्रदेश नल के पानी की आपूर्ति में पिछड़े हुए हैं।

It is a matter of concern that only 30.80% of rural households have access to tap water. Major States like Bihar, Jharkhand, Assam, Orissa and Madhya Pradesh lag behind in the coverage with tap water supply

यह भी एक तथ्य है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पेयजल स्रोतों में से लगभग 85% भूमिगत स्रोतों पर आधारित हैं। कई मामलों में आर्सनिक, फलुओराइड एवं यूरेनियम जैसे संदूषकों से पेयजल आपूर्ति के रायायनिक संदूषण के मामले और हाल ही में भारी धातुओं तथा कीटनाशकों से मानव जनित प्रदूषण के मामले सामने आ रहे हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सर्वाधिक सुरक्षित एवं सर्वाधिक टिकाऊ दीर्घावधि उपाय यह है कि दूर स्थित होने पर भी प्रभावित आबादी को स्वच्छ स्रोतों से पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए।

It is also a fact that about 85% of all drinking water sources in the rural areas of the country are based on underground sources. In many areas, cases of chemical contamination of drinking water supply with contaminants like Arsenic, Fluoride and Uranium and in recent times, man-made pollution with heavy metals and pesticides is coming to the fore. After trying various treatment technologies, it is increasingly clear to us that the safest and most durable long term solution is to provide the affected population with piped water supply from uncontaminated sources even if distant.

12वीं पंचवर्षीय योजना में, हमें संतोषजनक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने पर जोर देना होगा। यद्यपि इस क्षेत्र में बड़े निवेश किए जा चुके हैं एवं बहुत सी जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, तथापि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चालू की गई योजनाएं, कार्य करना बंद करके पिछड़ न जाएँ। यह अकसर असंतोषजनक सेवा, जलापूर्ति प्रणालियों का खराब प्रचालन एवं रखरखाव, किफायती एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता, जहां कि अधिकांश राज्य ग्रामीण पंपिग स्टेशनों के लिए वाणिज्यिक दर पर वसूली करते हैं तथा वोल्टेज एवं फिक्वेन्सी में घट-बढ़ होती है, के कारण होती है। इस पर राज्य के स्तर पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इस संबंध में, मैं राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए, कम से कम उन योजनाओं के लिए जो कि ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जाती है, बिजली कृषि - दरों पर अथवा घरेलू दरों पर उपलब्ध कराएँ । इससे ग्राम पंचायतों को निरंतर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य ऐसी प्रचालन एवं रखरखाव संबंधी नीति अपनाएँ, जिसमें ये प्रावधान हो कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निरंतर प्रचालन तथा रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

In the 12th Five Year Plan, we will have to give emphasis on ensuring satisfactory service delivery. Though there have been large investments

in the sector, and many water supply schemes set up, we have to ensure that commissioned schemes do not slip back to nonfunctional status. This often happens due to poor Operation and Maintenance of water supply systems, non availability of affordable and dependable power supply with many States charging commercial rates for rural pumping stations and fluctuations in voltage and frequency. These need urgent attention at the State level. In this connection, I would request the States to provide electricity for rural drinking water supply schemes atleast those run by Gram Panchayats at domestic rates, if not at agricultural rates. This will help Gram Panchayats to provide continuous drinking water supply. I would also suggest that States adopt an Operation and Maintenance policy laying down the provisions for ensuring continuous operation and maintenance of rural drinking water supply schemes.

भारत बहुत तेजी से जल के बोझ से आक्रांत (वॉटर स्ट्रैसड) देश बनता जा रहा है। यह समय की मांग है कि पेयजल क्षेत्र सिहत सभी क्षेत्रों में जल प्रयोग की कुशलता में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। राज्यों द्वारा जल लेखा—परीक्षण किए जाना चाहिए (कृषि एवं उद्योग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे जल के लिए लेखा—परीक्षणों सिहत), बड़ी संख्या में जल मीटर तथा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जल मीटर लगाए जाने चाहिए एवं जल के प्रयोग की कुशलता को बढ़ाने वाले उपकरण को लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

India is fast becoming a water stressed country. It is the need of the hour to focus on improving water use efficiency in all sectors including in drinking water sector. States should take up water audits (including such audits for water being used for agriculture and industry), install bulk and individual water meters and mandate installation of water efficient fixtures.

जल के प्रयोग को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों से लैस जल के प्रयोग की कुशलता को बढ़ाने वाले सक्षम भवनों और संरचनाओं की भी आवश्यकता है।

पानी का रिसाव करने वाले नलों को बन्द करके पुश बटन वाले नलों, भवनों की छतों पर वर्षा के जल का संचयन करने, पुनः चक्रित जल का उपयोग, आदि के बारे में हम विचार कर सकते हैं।

There is also a need to have more water efficient buildings and structures having technologies which minimize the use of water. We can think of stopping leaking taps and having push button taps, having rain water harvesting on building roofs, use of recycled water, etc.

पिछले दशक से पेयजल क्षेत्र में हमने निवेश बढ़ाया है। वर्ष 2002–03 में भारत निर्माण अविध में हमारा निवेश 2000 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 10,500 करोड़ हो गया है।

Over the past decade, we have had increased investment in the drinking water sector. From about Rs. 2000 crore in 2002-03, the investment has increased in the Bharat Nirman period to Rs. 10,500 crore in 2012-13.

भारत सरकार, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर रही है।

The Government of India is bringing about a major paradigm shift in the National Rural Drinking Water Programme in the XIIth Five Year plan period, to fulfill the rising expectations of the rural population.

इस परिवर्तन में सर्वप्रथम शामिल है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लिटर से 55 लिटर तक पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराने में सेवा स्तरों में वृद्धि करना। 40 लिटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का यह मानक 1972 से लागू है और सभी राज्यों से जलापूर्ति का उच्च स्तर निर्धारित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। ऐसा करके हम कुछ हद तक शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सेवा स्तरों में अन्तर को कम कर सकेंगे। एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्यों को अपने आपूर्ति मानदण्ड निर्धारित करने की छूट होती है। अतः मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि वे सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 55 एलपीसीडी मानदण्ड का लक्ष्य निर्धारित करें। परिवारों को कनेक्शनों में उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है जिससे कि हैंड पम्पों तथा सार्वजनिक नलों से पानी लाने में महिलाओं तथा बालिकाओं पर पड़ने वाला बोझ कम होगा तथा संदूषण का जोखिम भी कम होगा।

This shift includes firstly, proposing to increase the service levels of providing drinking water supply to rural areas from 40 litres per capita per day (lpcd) to 55 lpcd. The 40 lpcd norm is in place since 1972 and all States have been asked to start planning for a higher level of water supply. With this we will begin to bridge the gap somewhat in service levels between urban areas and rural areas. Under NRDWP States have the flexibility to fix their own supply norms. I would therefore urge States to target 55 lpcd norm for all future rural drinking water supply schemes. This can enable higher level of household connections, thereby reducing the burden on women and girls in fetching water from handpumps and public taps and reducing risk of contamination.

दूसरा, इस तथ्य को देखते हुए कि पीने, कृषि एवं उद्योग की आवश्यकताओं के कारण देश के अधिकांश भागों में भूमिगत जल का अत्यधिक निष्कर्षण होता है, अतः हमने सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय लिया है कि भूमिगत जल के बजाए सतही जल की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाए। अतः सतही, वर्षा तथा भू—जल के संयुक्त प्रयोग से हमें भूमिगत जल पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। इस संबंध में हम आशा करते हैं कि जल की कमी से आकृतंत तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर जल—आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सतही जल स्रोत्रों का उपयोग किया जाएगा। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर गम्भीर रूप से विचार करें।

Secondly, looking at the fact that there is over extraction of ground water in most parts of the country, due to requirements of drinking,

agriculture and industry, we have decided in principle to shift the focus away from ground water to surface water. We have to therefore reduce our dependence on groundwater by adopting conjunctive use of surface, rain and ground water. In this regard, we hope that more surface water sources will be tapped to ensure sustainable water supply in water-stressed and quality affected areas. I urge all States to look at this seriously.

पेयजल के रासायनिक संदूषण से प्रभावित राज्यों को तथा उन राज्यों को, जहां कि जापानी तथा तीव्र इनसिफेलाइटस सिंड्रोम (जेई / एईस) के मामले पाए गए हैं, सहायता प्रदान करने के लिए हमने जल गुणवत्ता के लिए निर्धारित निधि हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रावधान किया है तथा इसके लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों में से 5% का विनिधान किया गया है। मैं प्रभावित राज्यों से आग्रह करूँगा कि वे अवमुक्त निधियों का शीघ्र उपयोग करें तथा निधियों की दूसरी किस्त जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजें।

To assist States affected with Chemical contamination of drinking water, and those States which have cases of Japanese and Acute Encephalitis Syndrome (JE/AES), we have made a provision under the NRDWP for an earmarked fund for Water Quality and have allocated 5% of the NRDWP funds for it. I would urge the affected States to utilise the funds released expeditiously and send proposals for release of the second instalment.

समर्थन तथा जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग एवं निगरानी निधियों के प्रयोग में, जो कि सॉफटवेयर की क्षमता तथा राज्य की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए है, और जिन दोनों के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से निधियां प्रदान की गई हैं, राज्यों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि वे इन घटकों के अंतर्गत विनिधानों के अधिकतम उपयोग की योजना बनाएँ। The performance of States in utilizing the Support and the Water Quality Monitoring and Surveillance Funds, both of which are meant to strengthen the software capacity and activities of States, and both of which are fully funded by the Government of India, is not satisfactory. I urge the States to plan to optimally utilize allocations under these components.

संदूषण से पेयजल स्रोतों को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना, पेयजल स्रोतों की नियमित जांच, टैंकों एवं तालाबों में वर्षा—जल का संचयन, जल को पुनः शोधित करना, जल को बचाने वाली प्रणालियों में तेजी लानी होगी। आईइसी अभियानों में तेजी लाकर एवं पंचायतों के प्रतिनिधियों, इंजीनियरों एवं जल प्रशासकों को प्रशिक्षण देकर ही यह कार्य किया जा सकता है।

Awareness generation about protecting drinking water sources from contamination, regular testing of drinking water sources, conserving rainwater in tanks and ponds, water recharge, water saving devices, all have to be increased. This can be done only by intensive IEC campaigns and training of Panchayat representatives, engineers and water administrators.

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए मेरे मंत्रालय ने मुख्य संसाधन केन्द्रों की पहचान की है। मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने इंजीनियरों, ग्राम पंचायत संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य प्रतिभागियों को नामित करके उनकी सेवाओं का पूरा लाभ उठाएँ। मैं राज्यों से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे राज्य एवं जिला स्तर पर प्रमुख राज्य संसाधन केन्द्रों की पहचान करके जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करें।

My Ministry has identified Key Resource Centres to provide training on various aspects of rural drinking water sector. I request States to depute their engineers, PRI representatives and other participants to these training programmes and make full use of them. I also request States to identify their own State Key Resource Centres at State and district level to give training at district and block levels.

हमने राज्यों को भी लिखा है कि वे मीडिया योजनाएँ तैयार करने के लिए राज्य सूचना एवं प्रचार विभागों की सेवाओं के अलावा, डीएवीपी, पी आई बी, क्षेत्रीय प्रचार, गान एवं नृत्य प्रभाग के क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यालयों की एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यालयों की सेवाओं का लाभ उठाएँ ताकि आई इसी निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। जागरूकता पैदा करने के लिए अंतवेयक्तिक संप्रेषण एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। इस संबंध मे, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाऊँगा कि हमने राज्यों को हाल ही में अनुमित प्रदान की है कि वे परिवार में नलके का कनेक्शन लेने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने हेतु 'आशा' के कार्यकर्त्ताओं को 75 रू के हिसाब से प्रत्येक कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें।

We have also written to States to make use of services of Regional and State offices of DAVP, PIB, Field Publicity, Song and Drama Division and the like, in addition to State Information and Publicity Departments for preparing Media Plans so as to ensure effective use of IEC funds. Interpersonal communication is the most effective form of awareness generation. In this regard, I would like to bring to your notice that we have recently permitted States to give an incentive of Rs.75 per connection to ASHA workers for motivating households to take household tap connections.

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आईइसी गतिविधियों की योजना बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु हम यूनीसेफ के सहयोग से एक संप्रेषण तथा समर्थन रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। We, in collaboration with UNICEF are also going to prepare a Communication and Advocacy Strategy for providing a framework for planning and implementing IEC activities in rural drinking water sector.

असम, बिहार, झारखण्ड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्यों में पाइपों द्वारा जलापूर्ति को बढ़ावा देने के लिए तथा इस क्षेत्र में संस्थाओं एवं प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए हम 5000 करोड़ रू से भी अधिक की परिव्यय वाली विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार कर रहे हैं। इससे इन राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में मूलभूत बदलाव आने की आशा की जाती है। इसी प्रकार के अन्य राज्यों में हम इस परियोजना से मिले अनुभवों का उपयोग करने की आशा करते हैं।

We are preparing a World Bank assisted rural drinking water supply and sanitation project with an outlay of more than Rs. 5000 cr for promoting piped water supply and strengthen institutions and systems in this sector in the States of Assam, Bihar, and Jharkhand and Eastern UP. It is expected to make a fundamental change in the rural water supply sector in these States we hope to use the learning from this project in other similarly placed states.

एक महत्वपूर्ण पहल है 9 राज्यों की समेकित कार्रवाई वाली योजना के 82 जिलों में 10,000 आवासों में सौर ऊर्जा से चलने वाले दोहरे पंप की सहायता से जलापूर्ति योजना स्थापित करने की परियोजना। इससे उन आवासों में पाइपों द्वारा जलापूर्ति हो पाएगी, जहां विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कुछ राज्यों द्वारा प्रस्ताव अभी भेजे जाने हैं। मैं उनसे तुरन्त प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करता हूँ।

An important initiative is the Project of setting up of a Solar powered Dual pump based water supply scheme in 10,000 habitations in 82 Integrated Action Plan districts in 9 States. This will bring piped water

supply to habitations where power supply is not available. Some States are yet to send their proposals in this regard. I request them to send proposals immediately.

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में कार्यों, निधियों एवं कार्यकर्त्ताओं को पंचायत में स्थानांतिरत करने के संबंध में गहराई तक पता लगाने के उद्देश्य से मेरे मंत्रालय द्वारा तैयार की गई प्रबंधन हस्तान्तरण तालिका (एमडीआई) अब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए उनके स्वयं के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए एक सर्वोत्तम प्रयोग एवं उदाहरण बन गई है। उन राज्यों को, जहां पंचायती राज संस्थाओं को प्राधिकार दिए गए हैं, इस राशि में से अपेक्षाकृत अधिक विनिधान प्राप्त होगा। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि वे पंचायतों को अधिक से अधिक निधियों तथा कार्यकर्ता उपल्बध करायें जिससे कि वे अपने पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभा सकें।

The Management Devolution Index (MDI) developed by my Ministry to measure the depth of devolution of functions, funds and functionaries in rural drinking water sector to Panchayats has now become a best practice and an example to different Ministries of Govt of India for their own developmental programmes. States which have devolved authority to the PRIs shall get higher allocation. I urge States to devolve more and more funds and functions to PRIs so that they can play a greater role in managing their own drinking water supply.

बहुत बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए, मेरा मंत्रालय सघन प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों हेतु विनिधान प्राप्त किया जाए। इस प्रयास में हमारी स्थिति मजबूत होगी, यदि राज्य उपलब्ध निधियों का तेजी से उपयोग करें एंव अपेक्षित लेखा—परीक्षा प्रमाणपत्रों एवं कागजात प्रस्तुत करें। मैं राज्यों के माननीय मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अधिकारियों को निदेश दें कि वे सभी अपेक्षित कागजात सावधानीपूर्वक भेंजें ताकि निधियों को बिना किसी विलम्ब के अवमुक्त (रिलीज) किया जा सके।

My Ministry is making all efforts to obtain higher resource allocation for rural drinking water supply considering the large demand. In this effort, our hands will be strengthened if States utilise the available funds expeditiously and submit the required audit certificates and documents. I request Hon Ministers of States to direct their officers to carefully send all the required documents to enable release of funds without delay.

मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार एवं सुझाव दें जिससे कि हम जलापूर्ति कार्यक्रम को चलाने की प्रक्रियाओं में सुधार ला सकें।

I invite you all to provide inputs and suggestions that can improve the way we administer the drinking water programme.

निष्कर्ष के रूप में, मैं राज्य सरकारों का आवाह्न करना चाहूँगा कि वे न केवल ग्रामीण जलापूर्ति के ढांचे को सुदृढ करने में आगे आएँ बल्कि संबंधित सॉफटवेयर एवं अन्य गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से चलाएँ ताकि हम अपनी ग्रामीण जनता को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति निरंतर आधार पर कर सकें।

In conclusion, I would like to call upon State governments to come forward and strengthen not only the infrastructure in the rural water supply but also carry out related software and extension activities effectively so that we are able to provide our rural population with adequate and safe drinking water supply on a sustainable basis.

धन्यवाद

Thank You